परिपत्र 10 07/09

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ–7(39)जन/09/4677-5079 दिनांक 09/7/2009.

1. अति०कलक्टर(मुद्रांक), जयपुर
2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक), राजस्थान
3. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान

परिपत्र

आपका ध्यान राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के शिडयूल के आर्टीकल 44(ई) एवं 44(ईई) की ओर तथा विभाग के परिपत्र सं0 3/05 क्रमांक एफ–7(39)जन/05/2566 दिनांक 25-3-05 की ओर आकृष्ट करते हुए लेख है कि जिन मामलों में पावर ऑफ अटारनी पर 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है उसका समायोजन उसी स्थिति में देय है जबकि पावर ऑफ अटारनी होल्डर के पक्ष में ही तीन वर्ष की अवधि में विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ हो तथा यदि पावर ऑफ अटारनी होल्डर किसी अन्य के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन करता है तो उक्त समायोजन का लाभ देय नहीं है।

उपरोक्त व्यवस्था आर्टीकल 44(ई) एवं 44(ईई) के परन्तुक तथा विभाग के उपरोक्त परिपत्र का एक साथ अध्ययन करने पर स्वतः स्पष्ट है।

इसलिए सभी उप महानिरीक्षकगणों/उप पंजीयकों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देश हैं कि इसकी कठोरता से पालना की जावे।

यदि पूर्व में इस व्याख्या के विपरित व्याख्या ले कर पावर ऑफ अटारनी होल्डर के द्वारा किसी अन्य के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के मामले में पावर ऑफ अटारनी के वक्त देय की गयी 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का समायोजन किया है तो उन समस्त प्रकरणों को रिव्यू करें और नियमानुसार कम वसूल की गई स्टाम्प ड्यूटी की वसूली की कार्यवाही की जावे।

सं/-
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ–7(39)जन/09/4677-5079 दिनांक 09/7/2009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव (राजस्व), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान
3. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर
4. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय,अजमेर
5. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक), वृत्त जयपुर, जोधपुर
6. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय,अजमेर
8. समस्त आन्तरिक लेखा जांचदल, मुख्यालय, अजमेर
9. निजी सचिव, महानिरीक्षक / निजी सहायक अति0महानिरीक्षक
10. समस्त शाखाएँ मुख्यालय, अजमेर

11. प्रोग्रामर कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय को विभाग की website पर उपलब्ध कराने हेतु

09/7/09
अति॰ महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर